प्रेस रिलीज़: ईएसआईसी स्प्री 2025 योजना के जागरूकता के लए से मनार का आयोजन

गया जी , बिहार - 21 अगस्त 2025

क्षेत्रीय निदेशक श्री निरंजन कुमार ने गया जी में नियोक्ताओ के साथ एक से मनार में ईएसआईसी द्वारा SPREE 2025 (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) योजना तथा एमनेस्टी स्कीम के बारे में से मनार में उपस्थित सभी नियोक्ताओ को लाभ से अवगत कराया।

SPREE 2025 (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) योजना के वषय में वस्तार से बताते हुए अवगत कराया की वैसे नियोक्ता या संस्थान जिन्होंने चूकवश या अनजाने में अपने संस्थान को अबतक ईएसआई अ धनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करा पायें हैं उन्हें 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक बिना पछले अव ध के बकाया की मांग के पंजीकृत करने के लए अवसर प्रदान करती है ।

- इस योजना के तहत कर्मचारी द्वारा घो षत पंजीकरण ति थ से पहले की अव ध के लए कोई रिकॉर्ड जांच या बकाया की मांग नहीं की जायेगी
- पछली अव ध के लए कोई अंशदान भुगतान का दायित्व नहीं होगा।
- उक्त अव ध में स्वयं पंजीकरण कराने वाले संस्थानों पर पछली अंशदान, ब्याज या हर्जाने की कोई देनदारी नहीं होगी।
- पछले गैर-पंजीकरण के लए कोई कार्रवाई नहीं होगी।

तथा एमनेस्टी स्कीम के वषय में बताते हुए अवगत कराया की इसके तहत नियोक्ताओं के खलाफ दर्ज मुकदमों और न्यायालयों में लंबित मामलों को वापस लेने और त्वरित समाधान का अवसर प्रदान कया जाएगा, वशेष रूप से उन मामलों में जहां बकाया रा श का भुगतान हो चुका हो।

आगे उन्होंने सभी कर्मचारियों को राज्य बीमा निगम की कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति की वस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया क कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सां व धक निकाय है, जो कर्मचारी राज्य बीमा

अ धनियम, 1948 के तहत संचा लत होता है। अ धनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे संस्थान/कारखाना, जहाँ पछले 12 माह में कसी भी दिन 10 या उससे अ धक कर्मचारी कार्यरत रहे हों, उन संस्थानों के लए 15 दिनों के भीतर ईएसआईसी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ₹21,000/- (दिव्यांग क र्मयों के लए ₹25,000/-) तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कामगारों को च कत्सा एवं नकद हितलाभ उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें बीमारी, मातृत्व, अपंगता, आ श्रतजन लाभ, अंत्येष्टि व्यय, पुनर्वास भत्ता, वृद्धावस्था में 120 रू वा र्षक दर पर मुफ़्त स्वास्थ्य सु वधा एवं बी मतों के बच्चों को च कत्सा शक्षा में शैक्ष णक आरक्षण जैसी सु वधाएँ शा मल हैं। से मनार में नियोक्ता श्री राजेश कुमार संह, श्री प्रमोद कुमार, श्री वजय कुमार तिवारी, श्री चतरंजन कुमार संह आदि के साथ ईएसआईसी राज्य च कत्सा अ धकारी श्री बिजय कुमार केशरी, डीसीबीओ गया जी के शाखा प्रबंधक श्री ओम प्रकाश आदि भी उपस्थित रहे!